

## न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 38/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 रामाराम 2 तुलछाराम पिसरान बांकाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) 3 तुलसी पुत्री बांकाराम पत्नी पनाराम जाति जाट निवासी रिडमलाणियों की ढाणी (कगाऊ) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 बांकाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीनी।  
2. श्री प्रवीण चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

### निर्णय

दिनांक...2019.07.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बांकाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 618/325 रकबा 122.07 बीघा भूमि तथा मौजा गरल सुजानसिंह पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 318 रकबा 57.14 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पेमाराम के देहान्त के पश्चात बांकाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 बांकाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी बांकाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी बांकाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/4-1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/4-1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी बांकाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2070 से 2073 व 2069 से 2072 का भी अवलोकन किया गया। उक्त



स्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 618/325 रकबा 122.07 बीघा भूमि तथा मौजा गरल सुजानसिंह पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 318 रकबा 57.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी बांकाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी बांकाराम प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 20.07.11 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बाडमेर